प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 16.09.2026**

थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए व्यापारी के साथ झपटमारी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तगण के कब्जे से जनपद के विभिन्न थानाक्षेत्रों में की गयी चोरी/छिनैती/झपटमारी की घटना से सम्बन्धित कुल 29,000/- रुपये नकद एवं छीना गया 01 मोबाइल व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 14.09.2026 को थाना शिवली पर वादी श्री शमशाद पुत्र सज्जाकी निवासी बैरी दरियाव थाना शिवली जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित शिकायत छिनैती की घटना कारित होने के सम्बन्ध में दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शिवली पर मु0अ0सं0 314/2026 बनाम 03 अज्ञात पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 16.09.2026 को 02 संदिग्ध व्यक्तियों को थाना शिवली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिंहपुर जाने वाले रास्ते के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने नाम 1. वैभव सिंह भदौरिया पुत्र राम भान सिंह उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम सरैया पो0 लालपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात 2. संगम उर्फ छोटू कुशवाहा पुत्र दीप सिंह कुशवाहा उम्र 21 वर्ष निवासी मोहल्ला खमार लालपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात बताये तथा उनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 मोबाइल इनफीनिक्स व 12000/- रुपये सहित अन्य चोरी/छिनैती का सामान बरामद हुआ। जिसके आधार पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्तगण से पूछताछ के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्त आयुष सिंह सेंगर उर्फ पोलार्ड पुत्र सोहन सिंह निवासी ग्राम लालपुर सरैया थाना शिवली जनपद कानपुर देहात की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. वैभव सिंह भदौरिया पुत्र राम भान सिंह उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम सरैया पो0 लालपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात
2. संगम उर्फ छोटू कुशवाहा पुत्र दीप सिंह कुशवाहा उम्र 21 वर्ष निवासी मोहल्ला खमार लालपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हमने अपने साथी आयुष सिंह सेंगर उर्फ पोलार्ड पुत्र सोहन सिंह निवासी ग्राम लालपुर सरैया थाना शिवली जनपद कानपुर देहात के साथ मिलकर दिनांक 14.09.2026 को सुबह करीब 9.30 बजे हृदयपुर के पास मोटर साइकिल से जा रहे एक व्यक्ति के पीछे से आकर उसको रुकने के लिये कहा तो वह रुक गया था और उसकी मोटर साइकिल की हैन्डल पर टंगे थैले व शर्ट की जेब में रखे मोबाइल को झपटकर भाग गये थे फिर सुनसान जगह पर हमने थैले को देखा तो उसमें 24,000/- रुपये थे जो हम तीनो ने 8000/- रुपये करके आपस में बराबर बराबर बाँट लिये थे और मोबाइल फोन वैभव ने रख लिया था जिसमें से मोबाइल व 06-06 हजार रुपये आपको हमारे पास से मिले हैं। हम तीनों ने ही मिलकर दिनांक 25.08.2026 को अडरेपुरवा पुलिया के आगे सुबह 08.00 बजे के आस पास थाना क्षेत्र रूरा से एक व्यक्ति से 34000/- रूपये उसकी पैन्ट की जेब से छीने थे, जो हमने आपस में बाँटे थे जिसमें से प्रत्येक को 11000/- रुपये मिले थे तथा 1000/- रुपये हमने खाने-पीने में खर्च कर दिये थे, जिसमें से 4500-4500/- रुपये हमारे पास बचे हैं बाकी खर्च हो गये हैं। मोटर साइकिल के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि यह मोटर साइकिल हम तीनो ने मिलकर राही ढाबा सिकन्दरा से दिनांक 03.09.2026 को चुराई थी जिसकी नम्बर प्लेट को पकड़े जाने के डर से वहीं हाइवे पर चलते समय फेंक दिया था। हम तीनों ने ही मिलकर सिकन्दरा से चुराई गयी मोटर साइकिल से ही दिनांक 04.09.2026 को सुबह लगभग 10-11 बजे के आस-पास ग्राम शाहजहाँपुर थाना क्षेत्र सट्टी से एक व्यक्ति को रोककर उसे बातों में लगाकर उसके 18000/- रुपये जेब से निकाल लिये थे और हम तीनों ने 06-06 हजार रुपये बराबर बाँट लिये थे उसी में से हम में से एक के पास 4500/- रुपये तथा दूसरे के पास 3500/- रुपये बचे हैं बाकी खाने-पीने में खर्च कर दिये हैं। 02 मोबाइल जो हमारे पास से मिले हैं वे हम दोनों के ही हैं। घटना में प्रयुक्त होने वाली सफेद अपाचे मोटर साइकिल आयुष उर्फ पोलार्ड लेकर आता है वह मोटरसाइकिल उसी के पास है। हम तीनों लोग मिलकर व्यापारियों को ही निशाना बनाकर उनके साथ छिनैती/झपटमारी जैसी घटना कारित करते हैं।

अभियुक्त वैभव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 314/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना शिवली कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 167/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 286/2026 धारा 309(6)/352 बीएनएस थाना रूरा कानपुर देहात
4. मु0अ0सं0 51/2026 धारा 318(2) बीएनएस थाना सट्टी कानपुर देहात
5. मु0अ0सं0 531/2022 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना पनकी कानपुर नगर
6. मु0अ0सं0 247/2023 धारा 394/411 भा0द0वि0 थाना सचेण्डी कानपुर नगर
7. मु0अ0सं0 294/2023 धारा 102/41 द0प्र0सं0 व 411 भा0द0वि0 थाना बिठूर जनपद कानपुर नगर
8. मु0अ0सं0 309/2023 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना कल्याणपुर जनपद कानपुर नगर
9. मु0अ0सं0 179/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कल्याणपुर कानपुर नगर
10. मु0अ0सं0 331/2025 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना कल्याणपुर जनपद कानपुर नगर

अभियुक्त संगम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 314/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना शिवली कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 167/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 286/2026 धारा 309(6)/352 बीएनएस थाना रूरा कानपुर देहात
4. मु0अ0सं0 51/2026 धारा 318(2) बीएनएस थाना सट्टी कानपुर देहात

बरामदगी का विवरण-

1. मु0अ0सं0 314/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना शिवली कानपुर देहात से सम्बन्धित 01 मोबाइल इनफीनिक्स व 12000/- रुपये।
2. मु0अ0सं0 167/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा से सम्बन्धित बरामद चोरी की 01 मोटरसाइकिल नं0 UP77 AX 7919 इंजन नं0 HA11F7TGD36422 व चेसिस नं0 MBLHAW482TGD27775
3. मु0अ0सं0 286/2026 धारा 309(6)/352 बीएनएस थाना रूरा से सम्बन्धित 9000/- रुपये।
4. मु0अ0सं0 51/2026 धारा 318(2) बीएनएस थाना सट्टी से सम्बन्धित 8000/- रुपये।
5. 02 मोबाइल फोन (अभियुक्तगण के)।

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक अमरेन्द्र बहादुर सिंह
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा
3. उ0नि0 श्री अजय कुमार
4. का0 333 अरुण कुमार
5. का0 498 बौबी सिंह
6. का0 191 अतुल प्रताप सिंह
7. का0 628 गौरव कुमार
8. का0 256 दाऊजी